(नियम–26)

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
रसीदो पत्नी इब्राहीम जाति मुसलमान, निवासी चक गूंगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		खमीशाखान पुत्र ओभायाखान जाति मुसलमान, निवासी चक गूंगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (07)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) मुकदमा नम्बर 348/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.12.2024	प्रार्थीनी अधिवक्ता श्री बृजमोहन कुमावत द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। अंतरिम स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीनी का खातेदारी खेत मौजा चक गूंगा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 313/195 रकबा 0.9712 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थीनी विवादित आराजी की रेकर्डेड खातेदार होने तथा मौके पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष में है। प्रार्थीनी की खातेदारी से सटी हुई चक गूंगा की आबादी भूमि आयी हुई है। उक्त आबादी भूमि की आड़ में वर्तमान में विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीनी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त में दखलंदाजी पैदा की जाकर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर प्रार्थीनी की खातेदारी में जबरन छीणों के टुकड़े रोपकर उसे बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है तथा प्रार्थीनी की भूमि पर नव निर्माण कार्य कर कब्जा करने पर आमादा है, जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तथा प्रार्थीनी की खातेदारी व हक हिस्सा में बलपूर्वक प्रवेश कर कब्जा या निर्माण कार्य किया जाता है या उसे बेदखल किया जाता है तो इससे प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थीनी के पक्ष में होने से प्रार्थीनी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी/हस्तक्षेप नहीं करने, किसी प्रकार का नव निर्माण कार्य नहीं करने तथा वर्तमान मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। हमने प्रार्थीनी अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीनी विवादित आराजी की रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष में है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीनी के कब्जा काश्त में दखलदांजी पैदा की जाकर उन्हे जबरन बेदखल किया जाता है अथवा जबरन निर्माण करवाया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थीनी को होने से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आंशका रहेगी तथा प्रार्थीनी के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र आरजी/आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा चक गूंगा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 313/195 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीनी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीनी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी/हस्तक्षेप नहीं करने, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने तथा वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का अस्थाई अंतरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक जारी किया जाता है। उक्त स्थगन से आवागमन हेतु चलायमान रास्ता अप्रभावित रहेगा एवं राजस्व कमेटी द्वारा पैमाईश की जाती है तो उक्त स्थगन से अप्रभावित रहेगी। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के सम्मन/नोटिसों का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 07.02.25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Ch
Date: 2025.10.27 13:18:06 IS
Reason: SelfAttested

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.07.25	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 18.07.25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
18.07.25	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। चूंकि उक्त आवेदन का मूल वाद निर्णित हो चुका है। अतः मूल वाद के निर्णित होने से उक्त आवेदन का औचित्य एवं महत्व नहीं होने से आवेदन इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। साथ ही पूर्व में जारी अंतरिम स्थगन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.27 13:18:06 IST
Reason: SelfAttested